

**राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला**  
**National Institute of Fashion Technology, Panchkula**  
**(स्थापना विभाग / Establishment Dept.)**

संदर्भ: 02/निफ्ट/पंचकुला/स्थापना /परिपत्र एवं कार्यालय ज्ञापन/2021

दिनांक: 11.05.2021

**कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM**

**विषय/Subject:- निफ्ट पंचकुला के सभी कर्मचारियों को दिनांक 16-05-2021 तक घर से काम करने के सम्बन्ध में**  
**Work from Home for NIFT Panchkula's all employees till 16-05-2021 – Reg.**

हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदेश क्र. DMC- SPO- 2020/5439 दिनांक 09.05.2021 के संदर्भ में पंचकुला हरियाणा में COVID -19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए , महामारी के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया गया था कि पंचकुला परिसर 16/05/2021 तक बंद रहेगा ।

In reference to the Haryana State Disaster Managements Authority order no. DMC-SPO- 2020/5439 dated 09.05.2021, keeping in view of increasing cases of COVID-19 in Panchkula Haryana as a precautionary measure to prevent any further spread of the pandemic, it has been decided that Panchkula Campus shall remain closed till 16/05/2021.

पंचकुला परिसर के सभी कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे और उन्हें समय-समय पर भारत सरकार / हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

All officials of the Panchkula campus will continue to work from home and are advised to take necessary precautions adhering to the directions issued by the Governments of India/Haryana Government from time to time.

1. निफ्ट पंचकुला के अधिकारी / कर्मचारी हर समय टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपस्थित होने चाहिए ।

Officers/staff of NIFT Panchkula not attending office should be available on telephone and electronic means of communications at all times.

2. सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी शहर से बाहर नहीं जाएगा ।

No employee shall leave the city without permission of Competent Authority.

3. जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएंगी ।

Meetings, as far as possible, shall be conducted on Video-conferencing.

4. केवल सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों को ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ड्यूटी की अनुमति दी जाएगी ।

Only security guards and housekeeping person will be allowed duty as per the duty roster.

क्रमशः.../Contd...

5. दिनांक 16.05.2021 को स्थिति की समीक्षा करने के बाद, अगर हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन के विस्तार से संबंधित कोई अधिसूचना जारी की जाती है, तो ताजा अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।


After reviewing the situation on 16.05.2021, if any notification related to extension of lockdown is issued by the Government of Haryana, procedure as prescribed in the fresh notification will be followed.

6. सभी को COVID प्रोटोकॉल तथा सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक स्वच्छता, सामाजिक दूरी तथा मास्क पहनना आदि का पालन करना होगा।

Everyone will maintain health hygiene, social distancing and wear masks as per COVID protocol and guidelines issued by government and health department.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority.

  
(संतोष कुमार सिंह)  
लेखा अधिकारी

**प्रतिलिपि / Copy to:**

1. महानिदेशक, निफ्ट - सूचनार्थ / DG, NIFT - for information please
2. मुख्या सतर्कता अधिकारी (सूचनार्थ) / CVO, NIFT - for information please
3. निदेशक, निफ्ट मुख्यालय (सूचनार्थ) / Director, NIFT HO - for information please
4. डीन (शैक्षणिक) / Dean (A) - for information please
5. महानिदेशक, निफ्ट के निजी सहायक / PS to DG, NIFT - for information please
6. निफ्ट पंचकुला के सभी अधिकारी, प्राध्यापक एवं कर्मचारी / All officers, faculty and staff members of NIFT Panchkula